



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062022-236653
CG-DL-E-17062022-236653

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 309]
No. 309]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 16, 2022/ज्येष्ठ 26, 1944
NEW DELHI THURSDAY, JUNE 16, 2022/JYAISTHA 26, 1944

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2022

फा. सं. सी-603/ दिल्ली पीसीसी/ विधि-2022.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम सं.6) की धारा 4, खंड (4) और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का अधिनियम सं.14) की धारा 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एतद्वारा, समिति का पुनर्गठन करता है, जिसका गठन संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के संबंध में का. आ.1729 (ई), दिनांक 29 मई, 2012 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा अधिसूचित किया जा चुका है। पुनर्गठित समिति निम्नवत है:-

1.	अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव (पर्यावरण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार या उनके नामिती	सदस्य
3.	आयुक्त, उद्योग विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार या उनके नामिती	सदस्य
4.	सचिव, शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार या उनके नामिती	सदस्य
5.	आयुक्त, परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार या उनके नामिती	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	सदस्य

	सरकार या उनके नामिती	
7.	आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम या उनके नामिती	सदस्य
8.	निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार या उनके नामिती	सदस्य
9.	निदेशक/उप सचिव (के.प्र.नि.बोर्ड के मामलों में सीपी प्रभाग के प्रभारी)	सदस्य
10.	डॉ. एस.के. गोयल, मुख्य वैज्ञानिक एवं प्रमुख, सीएसआईआर-नीरी, दिल्ली आंचलिक केंद्र, दिल्ली	सदस्य
11.	डॉ. अनिल कुमार गुप्ता, सीईटीपी के अध्यक्ष, झिलमिल, दिल्ली	सदस्य
12.	प्रो. विजय के मिनोचा, विभागाध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिंग, दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय, दिल्ली	सदस्य
13.	सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या उनके नामिती	सदस्य
14.	प्रबंध निदेशक, दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम या उनके नामिती	सदस्य
15.	सदस्य सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति	सदस्य सचिव

और,

- इस समिति को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति कहा जाएगा।
- यह समिति उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो मूल अधिसूचना, का.आ.199(अ), दिनांक 15.03.1991 के द्वारा समिति को प्रत्यायोजित की गई थीं।
- यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
- भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना का. आ.1729(अ), दिनांक 29 मई, 2012 को विखंडित किया जाता है।

नरेश पाल गंगवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./128/2022-23]

नोट : मूल अधिसूचना का.आ.640(अ) दिनांक 14 जून, 2002 और फा.सं. वी वी-12015/7/04 एएस दिनांक 17 दिसंबर, 2004 के द्वारा संशोधित हुई थी।

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2022

F. No. C-603/Delhi PCC/Legal-2022.—In exercise of the powers conferred by Section 4, clause (4) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (Act No. 6 of 1974) and Section 6 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Act No. 14 of 1981), the Central Pollution Control Board hereby reconstitutes the Committee as specified by the Central Government whose constitution was notified by a Notification published in the Gazette of India vide S.O. 1729 (E), dated 29th May, 2012 in respect of the Union Territory (UT) of Delhi. The reconstituted Delhi Pollution Control Committee is as follows:

1.	Chairman, Delhi Pollution Control Committee	Chairman
2.	Principal Secretary/Secretary (Environment), Government of NCT of Delhi or his/her nominee	Member

3.	Commissioner, Department of Industries, Government of NCT of Delhi or his/her Nominee	Member
4.	Secretary, Department of Urban Development, Government of NCT of Delhi or his/her Nominee	Member
5.	Commissioner, Department of Transport, Government of NCT of Delhi or his/her nominee	Member
6.	Principal Secretary, Department of Health and Family Welfare, Government of NCT of Delhi or his/her nominee	Member
7.	Commissioner, East Delhi Municipal Corporation or his/her nominee	Member
8.	Director, Health Services, Government of NCT of Delhi or his/her nominee	Member
9.	Director / Deputy Secretary (In-charge of CP Division in the matters of CPCB)	Member
10.	Dr. S.K. Goyal, Chief Scientist & Head, CSIR-NEERI, Delhi Zonal Centre, Delhi	Member
11.	Dr. Anil Kumar Gupta, Chairman of CETP, Jhilmil, Delhi	Member
12.	Prof. Vijay K Minocha, Head of Department, Civil Engineering, Delhi Technical University, Delhi	Member
13.	Member Secretary, Central Pollution Control Board or his/ her Nominee	Member
14.	Managing Director, Delhi State Industrial Infrastructure Development Corporation or his/her nominee	Member
15.	Member Secretary, Delhi Pollution Control Committee	Member Secretary

And,

- i. This Committee may be called as Delhi Pollution Control Committee.
- ii. This Committee shall exercise all the powers which were delegated to the Committee vide Principal Notification, S.O.199(E), dated 15th March 1991.
- iii. The Notification shall come into force with immediate effect.
- iv. The Notification published in the Gazette of India vide S.O. 1729(E), dated 29th May, 2012 stands rescinded.

NARESH PAL GANGWAR, Chairman

[ADVT. III/4/Exty./128/2022-23]

Note:- The Principal Notification was amended vide S.O.640(E) dated 14.06.2002 and F. No. BV-12015/7/04 AS dated 17.12.2004.